छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1044/2007

1. श्री इंदरचन्द सोनी, — *अपीलार्थी*
सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वा0 अधिकारी,
(खाद्य एवं औषधि प्रशासन)
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), दुर्ग के समक्ष दिनांक 10.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा स्मरण पत्र भी दिये गये और प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.09.2007 को अपील भी प्रस्तुत की गई, किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा समयावधि में प्रकरण का निराकरण/सुनवाई नहीं की गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी ने अत्यन्त विस्तृत जानकारी मॉगी थी, अतः संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क अवलोकन करने के निर्देश दिये गये थे । प्रति अपीलार्थी की ओर से यह बताया गया कि कुल 9277 पृष्ठ की जानकारी होने के कारण दिनांक 28.07.2007 को पंजीकृत पत्र के माध्यम से राशि 18554/— रूपये शुल्क जमा कराने का पत्र भेजा गया था तथा दिनांक 16.08.2008 को रिकार्ड का अवलोकन करने के लिए बुलाया गया किन्तु अपीलार्थी ने शुल्क जमा नहीं कराई और न ही रिकार्ड का अवलोकन करने उपस्थित हुये, अतः जानकारी नहीं दी जा सकी । प्रति अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी जानबुझकर परेशान करने की नियत से इस प्रकार का आवेदन लगाने के आदी है और यदि वे जानकारी प्राप्त करने में रूचि रखते तो उन्हें शुल्क जमा कराना चाहिए था। अपीलार्थी ने अपने तर्कों में इस प्रकार के आरोप से इंकार किया है तथा यह बताने का प्रयास किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और खाद्य औषधि प्रशासन दोनों का प्रभार यद्यपि एक ही अधिकारी के पास है और उनमें आपस में समन्वय नहीं होने के कारण उन्हें जानकारी नहीं दी जा सकी। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि निर्धारित समयावधि में पंजीकृत डाक से शुल्क की सूचना भेजी गई थी और यदि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने में वास्तविक रूप से रूचि होती तो उन्हें शुल्क जमा कराना चाहिए था, अतः ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में यह निर्देश दिया जाना पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी को बुलाकर संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क अवलोकन करा दिया जावे और उसमें से जो जानकारी चाहे, उनसे शुल्क जमा कराने के उपरांत प्रदाय किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देश के साथ इस अपील प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com